

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01, पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 07771-4051036 ई.मेल. eenhdn_1@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 07

Form (IV)

**Form for Seeking prior approval under section 2 of the proposal by the
State Governments and other authorities**

1.	Project Details :	
I	Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 झलमला - बालोद- कुसुमकसा - मानपुर मार्ग (छ.ग./महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्डड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु बालोद वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र बालोद के आर.एफ. कक्ष क्रमांक 99,98,97,92,पी. एफ. 257 रकबा 17.772 हे. , परिक्षेत्र दल्ली के वनक्षेत्र आर.एफ.कक्ष क्रं. 148,170 रकबा 5.935 हे. , परिक्षेत्र डौंडी के वनक्षेत्र आर.एफ.कक्ष क्रं. 163,164 रकबा 1.714 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र दानीटोला खसरा नं. 307 रकबा 1.050 हे. कुल रकबा 26.471 हे. क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है।
II	Map showing the required forest area boundry of adjoining forest and item wise break up of the required forest area for different purpose (to be authenticated by an officer not below the rank of Deputy conservator of Forest)	मानचित्र माप 1:50000 एवं 1:15000 संलग्न है।
III	Total cost of the Project	रुपये 633.95 करोड़
IV	Justification for locating the project in the forest area giving alternatives examined and reasons for their rejection	आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01 लो.नि.वि. रायपुर छ.ग. द्वारा उपयुक्त राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने से प्रस्तावित भूमि का चयन किया गया है।
V	Financial and Social benefits	उपरोक्त मार्ग निर्माण से लगभग 995000 मानव दिवससृजन होने की संभावना है। जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा एवं सड़क निर्माण से लोगों के आवागमन में सुविधा होगी।
VI	Employment Generated	लगभग 995000 मानव दिवस
2 (I)	State / Union Territory	छत्तीसगढ़

II	District	बालोद
III	Forest Division Forest Block Compartment Revenue Forest	बालोद वन खण्ड दैहान – परिक्षेत्र बालोद के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 99,98,97,92, वन खण्ड बोरिद पी.एफ. 257 परिक्षेत्र दल्ली के अन्तर्गत वन खण्ड डौण्डी कक्ष क्र. आर.एफ. 148,170 एवं परिक्षेत्र डौण्डी के वन खण्ड डौण्डी कक्ष क्र. आर.एफ. 163,164 एवं ग्राम दानीटोला खसरा नं. 307
3	Item-wise break up of the total land required for the Project /scheme along with its Existing land use.	1) आरक्षित वन रकबा – 23.892 हे. 2) संरक्षित वन रकबा – 1.529 हे. 3) राजस्व वन भूमि रकबा – 1.050 हे. कुल रकबा 26.471 हे.
4 (I)	Details of Forest Land involved	आरक्षित वन / संरक्षित वन / राजस्व वन (छोटे-बड़े झाड़ के जंगल)
II	Details of Flora and Fauna existing in the area	The entire forest is a mixed forest. The mainly following tree species dominant the flora of area. Teak (Tectona Grandis) , Saal (shoera robusta) , Kumbhi (Careya Arborea) , Kusum (Schleichera Oleosa) , Shisham (Dalbergia Latifolia) , Pipal (Ficus Religiosa) , Siris (Albizia Lebbek) , Kullu (Sterculia Urens) , Bija (Pterocarpus Marsupium) , Semal (Salmalia Malabarica) , Dhaura (Anogeious Latifoloja) , Bahera (Terminalia Bellerica) , Haldu (Adina Cordifolia) , Mahua (Madhuca Indiacae) , Jamun (Syzygium Cumini). The following spices (Occasionally found) represent the fauna of area. Tiger , Leopard , jackal, Indian fox, hyena, bear etc.
III	Density of Vegetation	घनत्व 0.5 से 0.6 साईट क्वालिटी IVa, IVb
IV	Species wise and diameter class wise abstract of trees.	संलग्न है। पेज क्रमांक –
V	Vulnerability of the forest area to erosion, whether it forms a part of a seriously eroded area or not.	वन क्षेत्र प्रत्यावर्तित होने से शेष वनभूमि पर किसी भी प्रकार का भू-क्षरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
VI	Whether it forms a part of national park, wildlife sanctuary, nature reserve, biosphere reserve, etc. and if so, details of the area involved (Specific comment of the Chief Wildlife Warden to be annexes)	आवेदित वनभूमि का वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र आक्षांश एवं देशांश के आधार पर 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आता है।
VII	Item wise break up of the forest land required for the project /scheme for different purpose.	1) आरक्षित वन रकबा – 23.892 हे. 2) संरक्षित वन रकबा – 1.529 हे. 3) राजस्व वन भूमि रकबा – 1.050 हे. कुल रकबा 26.471 हे.
VIII	Rare endangered species of flora and fauna found in the area	निरंक।

IX	Whether it is a habitat for migrating faunar forms a breeding ground for them.	निरंक ।
X	Any other significance of the area relevant to the proposal.	निरंक ।
5	Details of displacement of people due to the proposal.	निरंक ।
I	Total number of families involve in displacement.	निरंक ।
II	Number of of scheduled caste / schedule tribe families involved in displacement.	निरंक ।
III	Detailed rehabilitation Plan	आवश्यकता नहीं ।
6	Details of compensatory a forestation scheme.	—
I	Detail of non forest area/ degraded forest area identified for compensatory aforestation, its distance from adjoining forest number of patches, size of each patch.	—
II	Map showing non forest area/ degraded forest area identified for compensatory aforestation, its distance from adjoining forest boundries.	—
III	Detail compensatory aforestation, scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule cost structure etc.	—
IV	Total financial outlay for compensatory a forestation scheme.	—
7	Details regarding transmission Line (Only for transmission Line Proposal)	आवश्यकता नहीं ।
I	Total length of the Transmission Line	आवश्यकता नहीं ।
II	Length Passing through forest area	आवश्यकता नहीं ।
III	Right to Way	आवश्यकता नहीं ।
IV	Number of Towers to be erected	आवश्यकता नहीं ।
V	Numbers of Towers to be erected in forest area	आवश्यकता नहीं ।
VI	Height of transmission towers.	आवश्यकता नहीं ।

8	Details of irrigation project	आवश्यकता नहीं।
I	Total catchment area	आवश्यकता नहीं।
II	Total command area	आवश्यकता नहीं।
III	Full reserve on level	आवश्यकता नहीं।
IV	High flood level	आवश्यकता नहीं।
V	Minimum draw level	आवश्यकता नहीं।
VI	Break-up area failing in catchment area of the project (Forest land, cultivated land, pasture land, human cultivation others)	आवश्यकता नहीं।
VII	Area of submergence at high flood level	आवश्यकता नहीं।
VIII	Area of submergence at full reservoir level.	आवश्यकता नहीं।
IX	Area of submergence at 2 meter below full reservoir level.	आवश्यकता नहीं।
X	Area of submergence at 4 meter below full reservoir level (For medium and major projects only)	आवश्यकता नहीं।
XI	Area of submergence at high flood level.	आवश्यकता नहीं।
XII	Area of submergence at full reservoir level.	आवश्यकता नहीं।
XIII	Area of submergence at 2 meter below full reservoir level.	आवश्यकता नहीं।
XIV	Area of submergence at 4 meter below full reservoir level (For medium and major projects only)	आवश्यकता नहीं।
XV	Area of submergence outlay and details regarding availability of funds for catchment area treatment plant.	आवश्यकता नहीं।
9	Details regarding mining proposal (Only for mining proposal)	आवश्यकता नहीं।
I	Length and width of the strip and forest area required.	आवश्यकता नहीं।

II	Total Length of the Road.	प्रस्तावित रोड की लंबाई का विवरण निम्नानुसार है-			
		क्र.	परिक्षेत्र / विकासखंड	क्षेत्र का विवरण	लंबाई का विवरण
		1	बालोद / डौण्डी / दल्लीराजहरा	वन क्षेत्र	10.592 किमी.
				राजस्व वन भूमि	0.437 किमी.
				राजस्व क्षेत्र	29.552 कि.मी.
Total Length KM – 40.581 km Road land width (Normal) – 18 m. Road land width (Built up area) – 12 m to 18 m. Carriage way width – 10 m.					
III	Length of the road already constructed	Existing Road Length KM – 40.581 km			
IV	Length of the road passing through the forest	11.029 कि.मी.			
10	Details regarding mining proposal (Only for mining proposal)	आवश्यकता नहीं।			
I	Total mining lease area and forest required	आवश्यकता नहीं।			
II	Period of mining lease proposed	आवश्यकता नहीं।			
III	Estimated reserve of each mineral / ore in the forest area and in the non forest area.	आवश्यकता नहीं।			
IV	Annual estimated production of mineral/ore.	आवश्यकता नहीं।			
V	Nature of mining operation (Open cast/ underground)	आवश्यकता नहीं।			
VII	Phased reclamation plan	आवश्यकता नहीं।			
VIII	Copy of the Lease Deed (to be attached only for renewal purpose)	आवश्यकता नहीं।			
IX	Number of laborers to be employed.	आवश्यकता नहीं।			
	Area of forest land required for:	आवश्यकता नहीं।			
a.	Mining	आवश्यकता नहीं।			
b.	Storing Mineral/Ore	आवश्यकता नहीं।			
c.	Dumping of Overburden	आवश्यकता नहीं।			
d.	Storing tools and machienery	आवश्यकता नहीं।			

e.	Construction of building power stations, workshop etc.	आवश्यकता नहीं।
f.	Township /Housing colony	आवश्यकता नहीं।
g.	Construction of Road/Ropeway/Railway line	आवश्यकता नहीं।
h.	Full land use plan of Forest area required.	आवश्यकता नहीं।
X	Reasons why any of the activities referred to in (a) to (h) above under the project for which forest land has been asked for cannot be undertaken/located outside forest area.	आवश्यकता नहीं।
XI	The extent of damage likely to be caused and the number of trees affected on account of mining and related activities.	आवश्यकता नहीं।
XII	Distance of the mining area from perennial watercourses national parks, sanctuaries and biosphere reserves.	आवश्यकता नहीं।
XIII	Procedure for stocking of the top soil for reuse.	आवश्यकता नहीं।
XIV	Extent of subsidence expected in underground mining operations and its impact on water, forest and other vegetation.	आवश्यकता नहीं।
11	Cost-benefit analysis	संलग्न है। पेज क्रमांक -
12	Whether clearance from environment angle is required (Yes/No) if yes, whether requisite details for the same have been furnished (Yes/No)	नहीं।
13	Whether clearance from from environmenta angle is required (Yes/No) if yes,	नहीं।
14	Whether requisite details for the same have been furnished (Yes/No) if yes,	नहीं।
I	Details of the same including date of commencement.	आवश्यकता नहीं।
II	Officers responsible for violation of the	आवश्यकता नहीं।
III	Action taken/being taken against erring offers.	आवश्यकता नहीं।
IV	Whether work in violation of the Act is still in progress.	आवश्यकता नहीं।
15	Any other Information	निरंक।

16	Detailed opinion of the Chief Conservator of Forest/ Head of the Forest Department concerned covering the following aspects, namely;	स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। पेज क्रमांक -
I	Out-turn of timber, fuel wood and other forest produce from the forest land involved.	नहीं।
II	Whether the district is self sufficient	नहीं।
III	The effect of the proposal on	नहीं।
a.	Fuel wood supply to rural population	नहीं।
b.	Economy and livelihood of the tribal and backward communities.	नहीं।
IV	Specific recommendation of the Chief Conservator of Forest/ Head of the Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with reasons thereof:	आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01 लो.नि.वि. रायपुर छ.ग. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 झलमला - बालोद - कुसुमकसा - मानपुर मार्ग (छ.ग./ महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्डड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु बालोद वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र बालोद के आर.एफ. कक्ष क्रमांक 99,98,97,92, पी.एफ. 257 रकबा 17.772 हे. परिक्षेत्र दल्ली के वनक्षेत्र आर. एफ. कक्ष क्रं. 148,170 रकबा 5.935 हे. , परिक्षेत्र डौंडी के वनक्षेत्र आर. एफ. कक्ष क्रं. 163,164 रकबा 1.714 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र ग्राम दानीटोला खसरा नं. 307 रकबा 1.05 हे. कुल रकबा 26.471 हे. क्षेत्र में वन भूमि/राजस्व वन क्षेत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त वनभूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का विदोहन किया जाना है। उक्त मार्ग उन्नयन से लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। ईंधन, समय की बचत एवं आर्थिक लाभ परिलक्षित है। अतः उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु अनुशंसा की जाती है।

Certified that all other alternatives for the purpose have been explored and demand for forest land is minimum.


(बी. श्रीनिवास राव)
कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.)


(एस. पी. पैकरा)
वन संरक्षक
प्रभारी वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल, बालोद

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01, पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं.07771-4051036 ई.मेल.eenhdn_1@rediffmail.com

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1 (i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का विवरण	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 झलमला - बालोद - कुसुमकसा - मानपुर मार्ग (छ.ग./महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु बालोद वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र बालोद के आर.एफ. कक्ष क्रमांक 99,98,97,92, पी. एफ. 257 रकबा 17.772 हे. , परिक्षेत्र दल्ली के वनक्षेत्र आर. एफ. कक्ष क्रं. 148,170 रकबा 5.935 हे. , परिक्षेत्र डौंडी के वनक्षेत्र आर.एफ. कक्ष क्रं. 163,164 रकबा 1.714 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र दानीटोला खसरा नं. 307 रकबा 1.050 हे. कुल रकबा 26.471 हे. क्षेत्र में वन भूमि/राजस्व वन क्षेत्र का में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है।
ii)	1,50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है। पेज क्र.-
iii)	परियोजना लागत	रुपये 633.95 करोड़
iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	अन्य कोई वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होना।
v)	लागत विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है। पेज क्र.-
vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	9,95,000 मानव दिवस
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 झलमला - बालोद - कुसुमकसा- मानपुर मार्ग (छ.ग./ महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु बालोद वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र बालोद के आर.एफ. कक्ष क्रमांक 99,98,97,92, पी.एफ. 257 रकबा 17.772 हे. , परिक्षेत्र दल्ली के वनक्षेत्र आर.एफ. कक्ष क्रं. 148,170 रकबा 5.935 हे. , परिक्षेत्र डौंडी के वनक्षेत्र आर.एफ. कक्ष क्रं. 163,164 रकबा 1.714 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र दानीटोला खसरा नं. 307 रकबा 1.050 हे. कुल रकबा 26.471 हे. क्षेत्र में वन भूमि/राजस्व वन क्षेत्र का चयन किया गया है।

3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि हो तो	निरंक ।
i)	परिवारों की संख्या	निरंक ।
ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक ।
iii)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जानें के लिये)	आवश्यकता नहीं।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है।) हो/नहीं	भारत का राजपत्र असाधारण भाग -II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली बृहस्पतिवार सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928 के अनुसार आवश्यक नहीं है। संलग्न प्रपत्र पेज क्र.-
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण का वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जावे)	संलग्न। पेज क्र.-
6	निर्देशों के अनुरूप संलग्न अपेक्षितप्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न। पेज क्र.-


(बी. श्रीनिवास राव)
 कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
 राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.)


(एस. पी. पैकरा)
 वन संरक्षक
 प्रभारी वन मंडलाधिकारी
 बालोद वनमंडल, बालोद